



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1941 (श10)

(सं० पटना 922) पटना, सोमवार, 5 अगस्त 2019

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

24 जुलाई 2019

सं० वि०स०वि०-13/2019-2321/वि०स०।—“बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1998-99, 1999-2000, 2003-04, 2010-11 एवं 2015-16) विधेयक, 2019”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक 24 जुलाई, 2019 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,  
बटेश्वर नाथ पाण्डेय,  
सचिव ।

[वि०स०वि०-12/2019]

**बिहार विनियोग अधिकारि व्यय (1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1998-99, 1999-2000, 2003-04, 2010-11 एवं 2015-16) विधेयक, 2019**

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ अतिरिक्त राशियों का वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1978, 1979, 1985, 1988, 1989, 1991, 1999, 2000, 2004, 2011 एवं 2016 को समाप्त होने वाले वर्षों की सेवा के लिए, शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम।** यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिकारि व्यय (1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1998-99, 1999-2000, 2003-04, 2010-11 एवं 2015-16) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।

2. वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1978, 1979, 1985, 1988, 1989, 1991, 1999, 2000, 2004, 2011 एवं 2016 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से क्रमशः 571304, 3174408, 26220373, 6077967, 4656934, 182655732, 3302296, 87658, 4397770, 3522991 एवं 1190034806 रुपये की निकासी।

बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ-8 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि, जो कुल मिलाकर रू0 1424702239/- (एक अरब बयालीस करोड़ सैंतालीस लाख दो हजार दो सौ उनतालीस) हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 1978, 1979, 1985, 1988, 1989, 1991, 1999, 2000, 2004, 2011 एवं 2016 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत्त राशियों में अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी।

3. **विनियोग।** इस अधिनियम के द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1978, 1979, 1985, 1988, 1989, 1991, 1999, 2000, 2004, 2011 एवं 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित्त विनियुक्त किया गया समझा जायेगा।

**अनुसूची**  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 1977-78		अधिकारि व्यय की रकम (रूपये में)					
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	विभाग का नाम	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	24	वन	पर्यावरण एवं वन	राजस्व	571304	-	571304
				कुल	571304	-	571304

**अनुसूची**  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 1978-79		अधिकारि व्यय की रकम (रूपये में)					
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	विभाग का नाम	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	27	खानें और खनिजें	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	3174408	-	3174408
				कुल	3174408	-	3174408

अनुसूची  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 1984-85					अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में)		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	विभाग का नाम	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	03	मंत्रिपरिषद्, निर्वाचन, सचिवालय एवं जिला प्रशासन	निर्वाचन, मंत्रिपरिषद्, राजस्व एवं भूमि सुधार, गृह एवं वित्त विभाग	राजस्व	26220373	-	26220373
				कुल	26220373	-	26220373

अनुसूची  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 1987-88					अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में)		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	विभाग का नाम	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	09	बिक्री-कर	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	6077967	-	6077967
				कुल	6077967	-	6077967

अनुसूची  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 1988-89					अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में)		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	विभाग का नाम	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	09	बिक्री-कर	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	4656934	-	4656934
				कुल	4656934	-	4656934

अनुसूची  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 1990-91					अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में)		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवार्ये और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	विभाग का नाम	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	37	लघु सिंचाई, भू और जल संरक्षण	लघु जल संसाधन विभाग	पूँजी	182655732	-	182655732
				कुल	182655732	-	182655732

अनुसूची  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 1998-99					अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में)		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवार्ये और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	विभाग का नाम	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	पूँजी	3302296	-	3302296
				कुल	3302296	-	3302296

अनुसूची  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 1999-2000					अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में)		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवार्ये और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	विभाग का नाम	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	पूँजी	87658	-	87658
				कुल	87658	-	87658

अनुसूची  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 2003-2004					अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में)		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवार्ये और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	विभाग का नाम	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व	4397770	-	4397770
				कुल	4397770	-	4397770

अनुसूची  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 2010-2011					अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में)		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवार्ये और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	विभाग का नाम	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	05	राज्यपाल सचिवालय	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	-	3522991	3522991
				कुल	-	3522991	3522991

अनुसूची  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 2015-2016					अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में)		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवार्ये और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	विभाग का नाम	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	35	योजना एवं विकास विभाग	योजना एवं विकास विभाग	पूँजी	1190034806	-	1190034806
				कुल	1190034806	-	1190034806

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,  
सचिव ।

**उद्देश्य एवं हेतु**

राज्य की संचित निधि से कोई राशि 'भारतीय संविधान' के अनुच्छेद-204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। वित्तीय वर्ष 1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1998-99, 1999-2000, 2003-04, 2010-11 एवं 2015-16 में, बिहार राज्य विधान मंडल से स्वीकृत राशि से, अपरिहार्य कारणों से, किए गए अधिकाई व्यय को लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या क्रमशः 664, 667, 673, 670, 674, 665, 666, 675, 668 एवं 669 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विनियमित करने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1978, 1979, 1985, 1989, 1991, 1999, 2000, 2004, 2011 एवं 2016 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान लोक लेखा समिति द्वारा विनियमन हेतु अनुशंसित अधिकाई व्यय के लिए क्रमशः 571304, 3174408, 26220373, 6077967, 4656934, 182655732, 3302296, 87658, 4397770, 3522991 एवं 1190034806 रुपये अर्थात् कुल रूपयें 1424702239/- (एक अरब बयालीस करोड़ सैंतालीस लाख दो हजार दो सौ उनतालीस) की राशि का शोधन और विनियोग बिहार राज्य विधान मंडल से प्राधिकृत कराया जाना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

(सुशील कुमार मोदी)

उप मुख्य (वित्त), मंत्री ।

पटना

दिनांक 24-07-2019

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,

सचिव,

बिहार विधान-सभा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 922-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>